न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/286

मिसल नम्बर– 25/2025

1.अशोक पुरसवानी पुत्र स्व0 जयदेव पुरसवानी आयु 68 वर्ष
1.शकुंतला पुरसवानी पत्नी श्री अशोक पुरसवानी आयु 63 वर्ष निवासी मकान संख्या 10 बी 15 पारिजात कॉलोनी महावीर नगर तृतीय कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.कोशल पुरसवानी पुत्र अशोक पुरसवानी आयु 40 वर्ष
2.रोशनी पत्नी कोशल पुरसवानी आयु 38 वर्ष निवासीगण मकान संख्या 10 बी 15 पारिजात कॉलोनी महावीर तृतीय कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 23/9/25

उपस्थितिः–

1.श्री कृपाशंकर श्रृंगी प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री ललित मल्होत्रा अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता
3.श्री असगर जमील खान अप्रार्थी नं0 2 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण मकान नं0 10 बी 15 पारिजात कॉलोनी महावीर नगर तृतीय कोटा राज0 निवासी है तथा पति पत्नी है तथा साथ ही निवास करते है दोनों ही सिनियर सिटीजन है। प्रार्थी क्रम 1 व 2 जिस मकान में रह रहे है उस मकान का मालिक प्रार्थी क्रम 1 है इसका पता 10–बी–15, पारिजात कॉलोनी, महावीर नगर तृतीय, कोटा राज० है इसकी सीमायें निम्न प्रकार से हैः–

पूर्व	–मकान संख्या 10– बी –20, पारिजात कॉलोनी, महावीर नगर तृतीय, कोटा
पश्चिम	–सडक 80 फीट
उत्तर	–मकान संख्या 10–बी – 16, श्री मांटवानी जी पारिजात कॉलोनी, महावीर नगर तृतीय, कोटा
दक्षिण	–मकान संख्या 10–बी – 14, श्री प्रहलाद मीणा जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पारिजात कॉलोनी, महावीर नगर तृतीय, कोटा

प्रतिपक्षी क्रम 1 प्रार्थीगण का पुत्र है तथा प्रतिपक्षी क्रम 2 उसकी पत्नी है। यह दोनों भी प्रार्थीगण की इजाजत से इसी मकान में निवास कर रहे है। प्रार्थी क्रम 1 सेवा निवृत्त आरएएस अधिकारी है। प्रार्थीया क्रम 2 उसकी पत्नी है। प्रतिपक्षी क्रम 1, प्रार्थीगण का एक मात्र पुत्र है। प्रतिपक्षी क्रम 2 उसकी पत्नी है। प्रार्थीया क्रम 2 का दिनांक 20.02.2023 से केन्सर का ईलाज चल रहा है वर्तमान में प्रार्थीया क्रम 2 का महात्मा गांधी हॉस्पीटल जयपुर, राज० में चल रहा है। प्रार्थी क्रम 1 ब्लड प्रेशर व मधुमेह की बीमारी से वर्ष 2013 से पीडित है। प्रार्थीगण वृद्ध व बीमार है जो अपनी पेन्शन की आय से अपना जीवन यापन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का पुत्र कोई काम धन्धा नहीं करता था, तब प्रार्थी क्रम 1 ने उसे अपने मकान के ग्राउण्ड फ्लोर पर जिम लगा कर दिया। उपर की मंजिल पर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण एक साथ निवास करते है। प्रतिवादी क्रम 2 रावतभाटा रोड स्थित एलजेबरा कॉलेज में असिस्टेन्ट लैक्चरार के पद पर कार्य कर रही है। प्रतिपक्षीगण आये दिन एक दूसरे से गाली गलौच, मारपीट करते है। प्राथीगण के बीच में बोलने पर, प्रतिपक्षी क्रम 2 उनके साथ मारपीट करने लग जाती है। घर की शांति भंग करते है। प्रतिपक्षीगण के आपस के लडाई–झगडों से घर की शांति भग हो जाती है। प्रतिपक्षीगण के लडाई झगड़ो से परेशान होकर, प्रार्थीगण ने कई मर्तवा प्रतिपक्षीगण से कहा कि मकान खाली करें व और कही अपनी व्यवस्था करें तो कहते है कि तुझसे जो हो सके कर ले हम यही रहेंगें और तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगें। प्रार्थी क्रम 1 ने प्रतिपक्षी क्रम 1 को जिम लगाकर दिया, सारे खर्च उठाये, लेकिन जिम से होने वाली आय से कोई राशि प्रतिपक्षी क्रम 1, प्रार्थीगण को अदा नहीं करता है। जब प्रार्थीगण ने कहा कि हम वृद्ध आदमी है, बीमार है, बीमारी में पैसा खर्च हो रहा है कम से कम मदद तो दूर की बात है। मुझे जिम में लगी राशि तो दे दो तो दोनो पति पत्नी लडाई झगडा करने लगते तथा प्रार्थीगण को मारने पीटने पर आमादा हो जाते है। प्रतिपक्षीगण के कृत्यों से परेशान होकर उसने अपना जिम दिनांक 1.04.2025 को नितेश शर्मा को किराये पर दे दिया, उसके उपरांत प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण को मकान में रहना दूभर कर दिया है। इनके उक्त कृत्यों से परेशान होकर प्रार्थीगण ने पुलिस थाना महावीर नगर में दिनांक 06.04.2025 व 26.04.2025 को रिपोर्ट लिखवाई लेकिन पुलिस थाना महावीर नगर द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। प्रतिपक्षीगण के उक्त व्यवहार से प्रार्थीगण अंत्यन्त तनाव ग्रस्त व दुखी जीवन व्यतीत कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को इस हेतु पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक जीवन यापन करने दे, कोई दखल न करे, परेशान न करे। प्रार्थीगण के मकान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

संख्या 10 बी 15 पारिजात कॉलोनी महावीर नगर तृतीय कोटा राज0 से उन्हे बेदखल किया जावे व प्रतिपक्षीगण प्रार्थी कम 1 के मकान में प्रवेश न करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण ने मुझ उत्तरदाता को अपने खर्चे से जिम लगाकर संचालन हेतु दिया था परन्तु हम प्रतिपक्षीगण के आपसी विवाद के कारण उक्त जिम बंद करना पड़ा तथा वापस प्रार्थीगण को सोंप दिया जिसे प्रार्थीगण ने अन्य व्यक्ति को संचालन हेतु सोंप दिया है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को उनका मकान खाली करने के लिये कहा था इसका कारण हमारी पारिवारिक लड़ाई रही है। उत्तरदाता ने अर्जीदारान से 2 माह में मकान खाली करने के लिये कह दिया था। परन्तु उत्तरदाता की पत्नी ने अनावश्यक विवाद बढ़ा दिया तथा मेरे मातां पिता से गाली गलोच करी तथा मारपीट भी करी और इस मद मे वर्णित आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन कि उत्तरदाता के माता पिता ने जिम लगाकर दिया था सही है। सारा विवाद उत्तरदाता की पत्नि के कारण हुआ है अन्यथा तो इतने सालों से माता पिता निभा रहे थे। जहां तक जिम की राशि देने का प्रश्न है जिम से अब उत्तदराता का कोई लेना देना नही हे अपितु उक्त जिम जो नितेश शर्मा नामक व्यक्ति को चलाने के लिये प्रार्थींगण ने दे रखी है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथन पारिवारिक कलह के कारण लिखाई गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में है। इतना ही नही प्रतिपक्षी नम्बर 2 रोशंनी ने भी एक झुठी रिपोर्ट थाने मे करवाई है उस रिपोर्ट मे तो उत्तरदाता को भी अभियुक्त बताया है इन्ही कारणों से उत्तरदाता के बिमार माता पिता तनाव मे रहने लगे हे और उन्होने इस आवेदन में वर्णित निर्णय लेते हुये यह कार्यवाही पेश की है। वास्तव मे प्रतिपक्षी नम्बर 2 के अनेतिक व्यवहार का दण्ड उत्तरदाता को भी मिल रहा हे व मिलेगा। प्रार्थना स्वीकार है।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र. में जिस प्रकार से लिखा गया है, स्वीकार नही है, यहां ना तो कभी भी रहने की मांग करी गई ना ही इजाजत दी गई यह प्रकृति का नियम है कि संताने व बहु, बेटीया ससुराल के निवास मे निवासरत होते है, यह नियम प्राकृ तिक रूप से चला आ रहा है, जबकि मानव उदय के समय मे पहाडोओ की खाओ में रहते थे। मद कम 4 जिस प्रकार से लिखी गयी है, स्वीकार है, प्रार्थी कम 1 रिटायर्ड ए डी एम है, जिनको बडी मात्रा मे पेंशन 70 हजार रू. के लगभग प्रतिमाह मिलती है, बुजुर्ग अवस्था में उक्त लिखित बीमारिया साधारणतया सभी को होती है, पेंशन के माध्यम से जीवनयापन करते आ रहे है, स्वीकार है, इस कारण से उक्त अधिनियम 2010 के व 2007 के तहत किसी प्रकार से लाभ

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

भा० पत्रा० ८)

अर्जित करने के भी अधिकारी नही है जो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, एवं उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त. नही होता है, प्रार्थीगण अपने कथनो से स्टोप्ड है। वास्तव में प्रार्थीगण ने विवाह के समय पुत्र कौशल को दो होस्टलो का स्वामी व तीसरी थ्री स्टार होटल खोलकर चलाने के, वचन व कथन कर प्रतिपक्षी कम 2 से विवाह किया था तथा जिम भी प्रतिपक्षी कम 2 के पिता 18 लाख 50 हजार रूपया में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी कम 1 को देकर खुलवाया है, एक मकान में निवास करना स्वीकार है। प्रतिपक्षी कम 1 द्वारा प्रतिपक्षी कम 2 को मारने पीटने के कथन स्वीकार है, गाली गलेच करना आम बात है, तथा प्रार्थीगण 1 व 2 भी प्रतिपक्षी कम 1 के साथ प्रतिपक्षी कम 2 के साथ मारना पीटना खाना पीना रसोई मे ताला लगाकर प्रतिपक्षी कम 2 व इसके पुत्र का भूखों मरने पर मजबूर कर रखा है, तथा प्रार्थीगण 1 लगायत 2 ने प्रतिपक्षी कम 1 से सांठ गांठ कर रखी है, तीनो किसी न किसी तरह लड़ाई झगडा कर मारपीट कर जान से मारने की धमकीया देकर जख्मी कर आग लगाकर जला कर मारने का प्रयास कर चुके है तथा विवाह के समय 20 तोला सोना एक किलो चांदी व 25 लाख रू. का दहेज का सामान एक होण्डा सिटी कार प्राप्त कर चुके है, तथा अब फिर कन्स्ट्रक्शन कंपनी शकुन्तला के नाम से खोलने व 20–25 लाख रू0 प्रतिपक्षी नं 1 के माता पिता पर दबाव बनाकर प्राप्त करना चाहते है, उक्त देय दहेज पूर्णतया हड़प कर चुके है, अब किसी बहुत बड़े व्यापारी की पुत्री से विवाह करना चाहते है, तथा षडयंत्र पूर्वक प्रतिपक्षी कम 2 को घर से भगाना चाहते है। जिम का सारा खर्च 18 लाख 50 हजार रू प्रतिपक्षी कम 2 के माता पिता ने देकर खुलवाया था जिस पर प्रतिपक्षी ने अवेध रूप से परस्त्रीगमन कर अपनी अययाशी से सारी अर्जित आय उडा दी तथा जिम मे घाटा लगवा दिया, वास्तव मे प्रतिपक्षी कम 1 ने व प्रतिपक्षी कम 2 ने कभी प्रार्थीगण के साथ मारपीट नही करी है, बल्कि तीनो ने षडयंत्रपूर्वक अपने द्वारा दहेज लोभी होने व दहेज की सम्पति तथा अतिरिक्त उपरोक्त प्रकार से झांसा देकर लाखो रूपया प्रतिपक्षी कम 2 व इसके माता पिता से प्राप्त कर लिये है, जिन पर पर्दा डालने व अपने द्वारा कारित अपराध से बचने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया है, इसी आधार पर प्रतिपक्षी कम 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है, जिसके अध्ययन से इनके षडयंत्र का पता चलता है। प्रतिपक्षी कम 1 जिम मे आने वाली लड़कीयो से नाजायज संबंध बनाकर अययाशी करता था तथा इनके साथ होटलो मे घुमता फिरता था जिनमे प्रियंका व त्रितिका नाम की लडकीया भी थी व अन्य लडकिया अलग है, घाटा होने पर दिनांक 1.4.25 को किराये पर अन्य को जिम दे दिया इसक उपरांत भी प्रतिपक्षी नं 1 कौशल पुरूषवानी ने अपनी माता शकुन्तला प्रार्थी कम 2 व प्रियंका मीणा के साथ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मिलकर तीनो ने मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश करी तथा मारपीट कर जख्मी कर दिया। दिनांक 26.04.2024 को जिसके चोटो के निशान मेडिकल रिपार्ट मे भी आये है, जिसके कारण एफआईआर 187/25 अन्तर्गत धारा 115(2), 1262),3(5) बी एन एस का इन लोगो के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हो गया जिसकी जांच जेरकार है, इससे बचने के लिए प्रार्थीगण ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का ड्रामा किया है, प्रतिपक्षी कम 2 के साथ मारपीट का विडियो भी बनाया गया जिसका गवाह पुत्र वेदान्त है, ओर फोटो भी है। प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी कम 1 ने मिलीभगत कर प्रतिपक्षी कम 2 द्वारा दिया गया बेशकीमती जेवर कार दहेज हडप कर ओर अधिक लाभ –प्राप्त करने हेतु तत्पर है, अन्यथा कहीं ओर मालदार व्यापारी पुत्री से विवाह किये जाने की योजनार्थ अपने प्रयास कर रहे है। प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी कम 1 ने आपस में षडयंत्र पूर्वक सांठ गांठ करके अपने अवैध असामाजिक अधार्मिक जाति प्रथा के विपरीत समाज को कलंकित करने का प्रयास कर रहे है। वास्तव मे सत्य बात तो यह है कि प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी कम 1 बहका फुसला कर तथा अपनी कमजोरिया जैसा कि प्रतिपक्षी कम 1 बेरोजगार है, तथा प्रतिपक्षी कम 2 का लाखो रूपया का जेवर सोना चांदी बर्बाद कर लाखो रूपयो की प्रतिपक्षी कम 2 व इसके परिवार वालो से मांग कर रहा है, प्रार्थीगण माता पिता होने के नाते इसके बहकावे में आकर षडयंत्र पूर्वक प्रतिपक्षी कम 2 के साथ मारपीट करते है, अवेध रूपयो की मांग करते हुए मानसिक व शारीरिक पीडा पहुंचाते है, तथा समाज मे परिवार को जलील व बेइज्जत कर रहे है, काफी जुल्म ज्यादोस्तीयां व. दहेज की सम्पति को हडप करने व बर्बाद होने के कारण जान से मारने व मर्डर कराने के प्रयास करने व भूखा रखने व रसोई मे ताले लगाना ओर ससुर द्वारा प्रतिपक्षी कम 2 की जीवन पर डायरी लिखना खाने पीने पहनने ओढने बाथरूम में आने जाने सोने मिलने मिलाने रिश्तेदारो पर डायरी मे अंकित करना आदि घिनोने जब कार्य इन लोगो के द्वारा किये जाकर लाखो रूपया दहेज की कमी बताकर मांगने पर जब अति हो गई तो प्रतिपक्षी कम 2 ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर कोटा में दिनांक 22.4.2025 को अन्तर्गत धारा 85,316(2) बी एन एस 2023 के तहत परिवाद पेश किया तथा जिसके आधार पर महिला थाना कोटा मे एफआईआर नं 145/25 दर्ज हो जाने के बाद फिर इसके उपरांत दिनांक 26.4.25 को घटना पर थाना महावीर नगर कोटा में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 के विरूद्ध एफआईआर नं 187/25 अन्तर्गत धारा 126(2) 114(2) व 3(5) बी एन एस मे दर्ज हो जाने के बाद उक्त कार्यवाही माननीय न्यायालय में की जिसके लिए माननीय न्यायालय अनुमान लगा सकता है कि परिस्थितियां कभी झूठ नही होती है,जिसके लिए साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान है कि लॉ मे प्रम्प्शन परिस्थितियां कभी झूठ नही बोलती अन्तर्गत धारा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

112,113,114 साक्ष्य अधिनियम उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज होने याग्य है। सही बात तो यह है कि प्रतिपक्षी कम 1 मंद कमाउ बेरोजगार है, सारा धन इसने अपनी अययाशी मे उडा दिया है, जिसने प्रार्थीगण ने जो माता पिता है, इनको बहला फुसलाकर उकसा दिया है, जो कि समस्त लालची प्रवृति के हो गये है। वास्तव में प्रतिपक्षी कम 2 एक सभ्य संभ्रान्त परिवार की इज्जतदार महिला है, जो अपने सास ससुर का सम्मान अपने माता पिता के रूप मे ही करती है तथा जीवन भर अपने पति व सास ससुर को सम्मान भी करेगी जो डोली मे बैठकर आई और चार आदमीयो के कंधे पर अर्थी के रूप मे ही घर से निकलना चाहती है, आज भी ओर सदैव प्रतिपक्षी कम 2 अपने कथनो पर मरते दम तक कायम रहेगी। वास्तव मे माननीय सुप्रिम कोर्ट मे एक आदेश के मुताबिक बतोर साक्ष्य गीता उठाकर गंगा जल उठाकर, कुरान शरीक उठाकर शपथ पूर्वक बयान लेने पर रोक लग गई है, इसके उपरांत शपथ पत्र ही एक महत्वपूर्ण सम्मानीय दस्तावेज होता है, प्रार्थीगण ने उक्त शपथ पत्र का आदर व सम्मान नही किया तथा परिवाद मे अंकित झूठे कथनो के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो वास्तव मे आई पी सी की धारा 191 व 192 व 209 चेप्टर xi व धारा 227 व 209 बी एन एस के तहत दण्डनीय है, उक्त आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध उचित फरमायी जाना न्यायोचित है। वास्तव में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 जिन्होने एक गिरोह बनाकर उपराधिक षडयंत्र रचकर प्रतिपक्षी कम 2 जो उक्त परिवार की बहू है, तथा अपने पुत्र के साथ ससुराल में निवासरत है, उक्त गिरोह किसी भी प्रकार से ऐनकेन प्रकारेण वास्तव में घर से निकालना चाहते है इस कारण से उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है वास्तव में प्रतिपक्षीगण का उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी जो उक्त परिवार की बहू एवं पत्नी है को निकालने के प्रयास धारा 19 घेरलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण प्रार्थना पत्र घेरलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति की श्रण प्राप्त है के विपरीत है प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी कम 1 प्रतिपक्षी कम 2 को घर से बेघर कर सड़क पर छोड ने का अधिकर नही है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षी नं0 2 ने जो जवाब पेश किया है उसका इस पिटिशन से कोई लेना देना नही है। परन्तु प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 आपस में पति पत्नी है बालिग है व स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम है। उनके लालन पालन का दायित्व हम प्रार्थीगण का नही है। इनका आचरण व व्यवहार पूर्ण रूप से खराब है हमें वृद्धावस्था में मानसिक पीडा कारित करने के साथ कूरता पूर्ण है। इसका प्रमाण प्रतिपक्षी के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

द्वारा झूठी एफ आई आर करवाना हमें पुलिस के माध्यम से परेशान करवाना मारपीट कर क्रूरता करने का रहा है इतना ही नही प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 ने आज तक भी हमारा ध्यान नही रखा इसके विपरीत इनको हमारे स्वअर्जित मकान में हमारे साथ रहना हमारे जीवन को खतरा व परमानेंट टेंन्शन व न्यूसेंस है। प्रतिपक्षी नं0 2 की क्रूरता व व्यवहार उसके जवाब से ही प्रमाणित है जहां वह केन्सर जैसी बीमारी के लिये यह कहती है कि साधारण तथा बुजुर्ग अवस्था में बीमारियां सभी को होती है। इससे ही न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि केंसर जैसी बीमारी को प्रतिपक्षी नं0 2 साधारण बीमारी बता रही है उसे इसकी पीड़ा थेरेपी के दर्द का ज्ञान उसे नही है और सदभावना भी नही है। ऐसे में इस प्रकार के आचरण वाले व्यक्ति को मकान से बेदखल करना ही उचित व आवश्यक है और प्रार्थीगण का आवेदन पूर्ण रूप से सही हैं इसके अलावा भी प्रतिपक्षी नं0 2 ने जेवरात के व अन्य झूठे आरोप लगा दिये एफ आई आर लिखवा दी व परेशान कर रखा है हमें हमारी ही स्वअर्जित सम्पत्ति में रहकर परेशान कर रखा था। नियम स्पष्ट है अब तो केवल माननीय न्यायालय ही इस वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमारी सहायता कर सकते है। न्यायालय को प्रतिपक्षीगण को तुरन्त बेदखल कर देना चाहिये।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाबुल जवाब का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वास्तव में प्रतिपक्षी नं0 2 इस ससुराल में अकेली तन्हा है, प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी क्रम 1 ने सांठ गांठ कर रखी है, जो येनकेन प्रकारेण किसी भी तरह से मकान से बेदखल करना चाहते है इस कारण से तीनो मिलकर षडयंत्रपूर्वक प्रार्थीगण व बरायेनाम प्रतिपक्षी नं0 1 उक्त कार्यवाही को चला रहे है। जहां तक बीमारी का प्रश्न है तो यह तो शारीरिक बीमारी है, प्रतिपक्षी क्रम 2 का यही कहना है यह प्राकृतिक बीमारी डाक्टर्स को विशेषज्ञो को भी होती है इसमें प्रतिपक्षी क्रम 2 को कोई दोष प्रकट नही होता जहां तक बीमारी का प्रश्न है इसका ईलाज होता है प्रतिपक्षी क्रम 2 प्रार्थी नं0 2 की अपनी माता के समान आदर व सम्मान कर रही है, तथा जीवन भर माता व देवी के सम्मान अपने आपको इनके चरणो में समझती है प्रतिपक्षी क्रम 2 अपने तनम न से जीवनभर सेवा अर्चना से सम्मान करने को कटिबद्ध है समय आने पर अपना रक्त देने को भी तत्पर है प्रतिपक्षी क्रम 2 में कोई दोष नही है, जवाबुल जवाब में प्रतिपक्षी क्रम 2 पर किये गये कटाक्ष वास्तव में प्रतिपक्षी क्रम 2 को मानसिक व शारीरिक पीडा में काउन्ट होते है जो पीडा मात्र कथन है। वास्तव में प्रतिपक्षी क्रम 1 व प्रार्थीगण आपस में षडयंत्र कर अप्रार्थीया क्रम 2 को अपने घर से निकालना चाहते है एवं प्रतिपक्षी क्रम 1 जो स्वयं दूसरा विवाह करने के चक्कर में है, इस कारण प्रतिपक्षी क्रम 2 को अलग से लाखो रूप्यों देने का प्रलोभन भी दे चुके है। इसी कारण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आ० पत्र०1

प्रतिपक्षी कम 2 ने इनके उक्त अवेध कृत्य को वेध कृत्य में बदलने का प्रयास किया है जिसके लिए प्रतिपक्षी कम 2 ने इनके विरूद्ध घरेलू हिंसा की कार्यवाही का मुकदमा सक्षम न्यायालय में पेश किया है प्रतिपक्षी कम 2 का उक्त कथन अपने वाले समय में जब प्रतिपक्षी कम 1 दूसरी विवाह कर लेगा तब माननीय न्यायालय को पता चलेगा कि प्रतिपक्षी कम 2 का उक्त कथन वास्तव में वसीयत बनकर रह गया है, इस कारण से षडयंत्र पूर्वक कार्यवाही एवं अदालत के माध्यम से किये जाने वाले दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बतोर एडीएम व अपार धन सम्पति होने के बावजूद खारिज किये योग्य है। अतः जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2025 का जवाब पेश ए खिदमत है।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपर्क्ष की ओर से बहस में अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित मकान का मालिक प्रार्थी कम 1 है। प्रतिपक्षीगण आये दिन एक दूसरे से गाली गलौच, मारपीट करते है। प्राथीगण के बीच में बोलने पर, प्रतिपक्षी कम 2 उनके साथ मारपीट करने लग जाती है। घर की शांति भंग करते है। प्रतिपक्षीगण के आपस के लडाई–झगडों से घर की शांति भग हो जाती है। प्रार्थीया कम 2 का केंसर का ईलाज चल रहा है एवं प्रार्थी कम 1 ब्लड प्रेशर व मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है। अप्रार्थी कम 2 की ओर से यह आलेखित किया गया है कि उक्त लिखित बीमारियां साधारणतया सभी को होती है। अप्रार्थी कम 2 के उक्त कथन को उचित नही कहा जा सकता है। अप्रार्थीया कम 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में तो अपनी सास को अपनी मॉ के समान बताया गया है वही कैंसर जैसी बीमारी को साधारण बीमारी बताते हुये वृद्धावस्था में सभी को होना वर्णित किया गया है। हमारे विनम्र मत में अप्रार्थीया का यह कथन प्रार्थीगण के प्रति संवेदनहीनता की परिकाष्ठा है। जिस कारण से भी न्यायालय यह स्वीकार करता है कि अप्रार्थी कम 2 के द्वारा प्रार्थीगण का मान सम्मान नही किया जाता।

अप्रार्थीया की ओर से फर्द दस्तावेज फोटो प्रति परिवाद घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, एफ0आई0आर0 नं0 145/2025 महिला थाना, एफ0आई0 आर0 नं0 187/2025 महावीर नगर थाना पेश की गई। उक्त दस्तावेजों की प्रतियों के अवलोकन से भी प्रार्थीगण का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि प्रतिपक्षीगण के द्वारा एफ आई आर करवा कर पुलिस के माध्यम से प्रार्थीगण को परेशान किया जा रहा है। उभयपक्षकारान द्वारा पुलिस में प्रस्तुत परिवादों के प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है, जिनमें जॉच कर कार्यवाही करना पुलिस का क्षेत्राधिकार है।

न्यायालय उपखण्ड कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हमारे विनम्र मत में जब उभय पक्षकारान एक दूसरे पर विभिन्न आरोप लगा रहे है तो परिवादों की मेरिट पर टिप्पणी किये बिना इस न्यायालय का यह दायित्व है कि वह वरिष्ठ नागरिको के मान सम्मान तथा जीवन की सुरक्षा हेतु अपेक्षित आदेश पारित करे।

प्रार्थीगण की ओर से कथन किया है कि प्रार्थीगण का पुत्र कोई काम धंधा नही करता था तब प्रार्थी कम 1 ने उसे अपने मकान के ग्राउण्ड फ्लोर पर जिम लगा कर दिया। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से प्रार्थीगण के उक्त कथन का खण्डन करते हुय निवेदन किया गया है कि जिम का सारा खर्चा अप्रार्थी नं0 2 के माता पिता ने देकर खुलवाया था। परंतु हम अप्रार्थी नं0 2 के उक्त कथन को उचित नही मानते है क्योंकि प्रार्थीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में बिल दिनांक 15.07.2019 फिट एन फाइन बिल कमांक 10156, बिल दिनांक 15.07.2019 फिट एन फाइन बिल कमांक 10157, बिल दिनांक 25.07.2019 फिट एन फाइन बिल कमांक 10159, बिल दिनांक 28.08.2019 फिट एन फाइन बिल कमांक 10165 पेश किये है जिनके अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण द्वारा किया गया कथन उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त वर्णित मकान संख्या 10 बी 15 पारिजात कॉलोनी महावीर नगर तृतीय कोटा प्रार्थीगण की स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थीगण अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। प्रार्थीगण को पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करने के बजाय प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। अतः प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान संख्या 10 बी 15 पारिजात कॉलोनी महावीर नगर तृतीय कोटा से बेदखल किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 5 योम मकान संख्या 10 बी 15 पारिजात कॉलोनी महावीर नगर तृतीय कोटा को खाली कर देवें। बेदखली के आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी महावीर नगर कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 23/9/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा Kota

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा